न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

(2)

करणसिंह पुत्र श्री किरोड़ी जाति जाट उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत भंगो, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 वउनवानी प्रकरण सरकार बनाम करणसिंह विभागीय प्रकरण संख्या 168/04.09.2019 पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी करौली निर्णय दिनांक 02.12.2019

निर्णय

दिनांक 07.09.2020

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की शिकायत प्राप्त होने पर अपीलार्थी की दुकान की जांच हेतु दिनांक 30.08.2020 को जांच कमेटी गठित की गई। जांच में अपीलार्थी द्वारा अपनी मूल दुकान एवं अटैच दुकान चिनायटा एवं हाड़ौली की जांच करने पर कुल 521.48 क्विं. गेंहूं, 385.5 लीटर केरोसीन तथा 7.30 क्विं. चीनी कम पाये जाने, उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार एवं पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं देना आदि अनियमितताओं के पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र दिनांक 02.12.2019 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध जांच के दौरान जांच अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी पर लगाये गये निराधारा आरोपों का खण्डन करने के पर्याप्त सबूत एवं आधार बताने के बावजूद भी अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा रसद सामग्री के वितरण में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। अपीलार्थी ने रसद सामग्री का नियमानुसार वितरण किया है। अपीलार्थी को राजनैतिक दबाब के कारण उक्त प्रकरण में झूंठा फंसाकर उक्त मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की थी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को गलत रूप से दोषी माना है, जो कि काबिले गौर श्रीमान है। अपीलार्थी द्वारा राशन सामग्री का दुरुपयोग/कालाबाजारी नहीं की गई है। अपीलार्थी लम्बे समय से बीमार चला आ रहा है, बीमारी के चलते समय पर रजिस्टर में इन्द्राज नहीं हो पाया जिसकी वजह से उक्त मुकदमा दर्ज हुआ है। अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज हुए प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 510/19 थाना सदर हिण्डौन में अपीलार्थी जमानत पर है और अपीलार्थी के विरुद्ध अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई है तथा अपीलार्थी को अभी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। इस कारण अपीलार्थी के विरुद्ध जारी आदेश दिनांक 02.12.2019 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी गरीब व सीधा सादा

जिला कलक्टर
करौली

व्यक्ति है जिसे उक्त प्रकरण में गलत रूप से प्रवर्तन निरीक्षक श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन द्वारा गांव के रंजिश रखने वाले लोगों की शिकायत पर झूंठा फंसाया है। उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है जो कि काबिले गौर श्रीमान् है। उक्त अपील में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, केवल अनियमितता अपीलार्थी की बीमारी की वजह से पैदा हुई है, जानबूझकर बेईमानीपूर्वक आशय से की गई अवैधानिकता नहीं है। इसलिये अपीलार्थी को न्यायहित में एक मौका दिया जाना न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा हिण्डौन उपखण्ड में कटकड़, करसौली, चिनायटा एवं हाड़ौली के उचित मूल्य दुकानदारों की जांच हेतु दिनांक 30.08.2019 को जांच दल का गठन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन सिटी द्वारा श्री करण सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भंगो के अन्य सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानों ग्राम चिनायटा, ग्राम हाड़ौली में उपभोक्ताओं के पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन सामग्री नहीं देना एवं राशन सामग्री की कालाबाजारी करना आदि गंभीर अनियमितताएं करने की रिपोर्ट करने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 04.09.2019 को निलंबित किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक से विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जो दिनांक 23.09.2019 को प्राप्त हुई। अपीलार्थी की मूल राशन दुकान एवं अटैच दुकानों के भौतिक सत्यापन एवं कार्यालय अभिलेख से ऑडिट करने पर अपीलार्थी की मूल दुकान पर 401.77 क्विं. गेंहूं, हाडौली की अटैच दुकान पर 16.25 क्विं. गेंहूं एवं चिनायटा स्थित अटैच दुकान पर 103.46 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। इस प्रकार कुल 521.48 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। इसी प्रकार मूल दुकान पर 385.5 लीटर केरोसीन कम पाया गया तथा मूल दुकान पर 5.0 क्विं. चीनी, हाडौली की अटैच दुकान पर 1.00 क्विं. चीनी एवं चिनायटा स्थित अटैच दुकान पर 1.00 क्विं. चीनी कम पायी गयी। इस प्रकार कुल 7.30 क्विं. चीनी कम पायी गई। अपीलार्थी द्वारा अटैच ग्राम पंचायतों (चिनायटा एवं हाड़ौली) के अस्थायी अटैचमेण्ट हटाये जाने के बावजूद अवशेष स्टॉक व पोस मशीन अटैच डीलर को नहीं संभलवाये जाकर हाड़ौली वाले भाग से 18.55 क्विं. गेंहूं व चिनायटा वाले भाग से 42.60 क्विं. गेंहूं का अनाधिकृत रूप से वितरण किया गया। उक्त अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 510/19 थाना सदर हिण्डौन पर दर्ज करवायी जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जिनके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें केवल अगस्त 2017 एवं सितंबर 2018 के बिल की मात्रा एवं पोस मशीन में डाली गई मात्रा में कुल 104.05 क्विं. गेंहूं का अंतर होना अंकित किया। अपीलार्थी द्वारा नोटिस में अंकित सभी बिन्दुओं का तथ्यात्मक पूर्ण जवाब नहीं दिया गया जो कि राशन सामग्री के दुरुपयोग/कालाबाजारी को साबित करता है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई हैं एवं प्रत्यर्थी द्वारा विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। जांच रिपोर्ट दिनांक 23.09.2019 के अनुसार अपीलार्थी की मूल राशन दुकान एवं अटैच दुकानों के भौतिक सत्यापन एवं कार्यालय अभिलेख से ऑडिट करने पर अपीलार्थी की मूल दुकान पर 401.77 क्विं. गेंहूं, हाडौली की अटैच दुकान पर 16.25 क्विं. गेंहूं एवं चिनायटा स्थित अटैच दुकान पर 103.46 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। इस प्रकार कुल 521.48 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। इसी प्रकार मूल दुकान

जिला कलक्टर
करौली

पर 385.5 लीटर केरोसीन कम पाया गया तथा मूल दुकान पर 5.0 क्विं. चीनी, हाडौली की अटैच दुकान पर 1.00 क्विं. चीनी एवं चिनायटा स्थित अटैच दुकान पर 1.00 क्विं. चीनी कम पायी गयी। इस प्रकार कुल 7.30 क्विं. चीनी कम पायी गई। अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि बीमारी के कारण वह रजिस्टर में इन्द्राज नहीं कर पाया लेकिन भौतिक सत्यापन करते वक्त उक्त राशन सामग्री अपीलार्थी की राशन दुकान पर उपलब्ध होनी चाहिये थी जो कि दुकान पर नहीं पायी गई। अपीलार्थी से अटैच दुकानों का अटैचमेण्ट हटाये जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा अवशेष स्टॉक व पोस मशीन अटैच डीलर को नहीं संभलवाये जाकर हाड़ौली वाले भाग से 18.55 क्विं. गेंहूं व चिनायटा वाले भाग से 42.60 क्विं. गेंहूं का अनाधिकृत रूप से वितरण किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को जारी सुनवाई नोटिस के जवाब में भी अपीलार्थी द्वारा केवल अगस्त 2017 एवं सितंबर 2018 के बिल की मात्रा एवं पोस मशीन में डाली गई मात्रा में कुल 104.05 क्विं. गेंहूं का अंतर होना अंकित किया है लेकिन नोटिस में अंकित पूर्ण बिन्दुओं का जवाब नहीं दिया है। इस न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा कम पायी राशन सामग्री के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं दी जाती है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। प्रत्यर्थी द्वारा भी विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः हम अदालत मातहत के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली